

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक...13.7.18.....

संख्या-7/मुक0-08-1/2015(खंड I)सा0प्र0...9277...../भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श के पश्चात् बिहार असैनिक सेवा (न्याय-शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।-(1)यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा (न्याय-शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 (समय-समय पर यथा संशोधित) का नियम-1(ख)(i) का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली, 1955 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-1(ख)(i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“आयोग” से अभिप्रेत है “बिहार लोक सेवा आयोग, पटना उच्च न्यायालय, पटना के समन्वय से”;

3. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 (समय-समय पर यथा संशोधित) का नियम-18 का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली, 1955 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-18 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के चयन हेतु गठित साक्षात्कार बोर्ड में पटना उच्च न्यायालय, पटना के एक प्रतिनिधि, सदस्य होंगे तथा अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबंध में उनके परामर्श की अवहेलना नहीं की जायेगी, जबतक कि उनका परामर्श नहीं मानने का स्पष्ट एवं प्रबल कारण नहीं हो और ऐसे कारणों को निश्चित रूप से अभिलिखित किया जायेगा।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/मुक0-08-1/2015(खंड I)सा0प्र0...9277...../पटना-15, दिनांक...13.7.18.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/मुक0-08-1/2015(खंड I)सा0प्र0...9277...../पटना-15, दिनांक...13.7.18.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद सं0-35 दिनांक 11.07.2018 के प्रसंग में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department

Notification

Patna-15, Date..13.7.18

No.-7/Muk.-08-1/2015 (Part I)G.A ...9277.....//In exercise of the powers conferred by Article-234 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, after consultation with the High Court of Judicature at Patna and the Bihar Public Service Commission is pleased to make the following Rules to amend **the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 (as amended from time to time)**:

1. **Short title and commencement:-**(1)These rules may be called **the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2018.**

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.


2. **Substitution of the rule-1(b)(i) of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 (as amended from time to time)-**
The rule-1(b)(i) of the said Rules, 1955 (as amended from time to time) shall be substituted by the following:-

"Commission" means "the Bihar Public Service Commission in co-ordination with the Patna High Court, Patna".

3. **Substitution of the rule-18 of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 (as amended from time to time)-**
The rule-18 of the said Rules, 1955 (as amended from time to time) shall be substituted by the following:-

"The representative of the Patna High Court, Patna shall be one of the members of the Interview Board constituted for the selection of Civil Judge (Junior Division) and the opinion given by him with regard to the suitability of the candidates shall not be disregarded unless there are strong and cogent reasons for not accepting the opinion, which must be recorded in writing."

By the Order of Governor of Bihar



(Shiv Mahadev Prasad)

Under Secretary to the Government

Memo No. 7/Muk.-08-1/2015 (Part I)G.A ...S2.7.7.../Patna, Dated ...1.3.7.18....

Copy forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna for publication in forth coming issue of Govt. Gazette.

2. Kindly send 200 (Two hundred) copies to this department.

Handwritten signature and date: 12.7.18

Under Secretary to the Government

Memo No. 7/Muk.-08-1/2015 (Part I)G.A ...S2.7.7.../Patna, Dated ...1.3.7.18....

Copy forwarded to Office of the Accountant General (A&E), Bihar, Patna/Registrar General, High Court, Patna/Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/ Secretary, Law Deptt./Principal Secretary, Cabinet Secretariat in reference to Cabinet Item No.-35 dated 11.07.2018/All District and Session Judge/All Departments/All Head of Departments for information and necessary action.

Handwritten signature and date: 12.7.18

Under Secretary to the Government